# कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री रविशंककर जायसवाल,चौथा तल सरामानसन 11,वी0एन0रोड, लालबाग,लखनऊ।

प्रा0प0सं0- 204 / 2008

प्रार्थी की ओर से- श्री रविशंकर जायसवाल,प्रार्थी ।

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24-4-2008 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें Bitumen Emulsion पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),वाणिज्य कर, लखनऊ संभाग-बी लखनऊ से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 में जारी अनुसूची -2, के कमांक 22 पर बिटुमन का उल्लेख है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है । Bitumen Emulsion भी बिटुमन की श्रेणी की वस्तु है ,यह सही नहीं है क्योंकि उक्त सूची में केवल बिटुमिन का उल्लेख है । Bitumen Emulsion जो कि किसी भी शिडयूल में अंकित न होने के कारण 12.5 की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को श्री रविशंकर जायसवाल,प्रार्थी उपस्थित हुये ।

4- मैनें प्राप्त विभागीय आख्या , प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को व धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों का परिशीलन किया ।सर्वश्री विनोद कुमार अग्रवाल ,मेरठ (प्रार्थना पत्र संख्या-115/2008)के वाद में धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 15-4-08 में Bitumen Emulsionपर अनुसूची-5 के अन्तर्गत 12.5 की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। अतः Bitumen Emulsion 12.5 की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 30, जून,2008

ह0 30.6.08

( दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।